कोविड-19 से मृत्यु पर ईएसआईसी बीमित व्यक्ति को मिलेगी पेंशन

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत कर्मचारियों-श्रमिकों की यदि कोरोना से मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को औसत वेतन की अधिकतम 90 फीसदी राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। इसके लिए ईएसआईसी ने कोविड-19 राहत योजना शुरू की है। कोरोना से संक्रमित होने पर 30 दिन के अंदर यदि कर्मचारी की मौत होती है तो उसे भी राहत योजना में कवर किया जाएगा। योजना कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होने पर संक्रमित रिपोर्ट के 45 दिवस तक मृत्यु के मामले में भी लागू होगी। क्षेत्रीय निदेशक के मुताबिक पेंशन की पात्रता के लिए जिस कर्मचारी की कोरोना से मृत्यु हुई है उसे कोविड की पुष्टि होने की तारीख से कम से कम 3 माह पहले निगम के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत हुआ होना एवं संक्रमित होने के दौरान सेवा में होना तथा पिछले 1 वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान होना आवश्यक होगा।

15 दिन में मिलेगा योजना का लाभ: अंशदान की इस शर्त को कुछ मामलों में ढील दी गई है। योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक कर्मचारी के आश्रित मृत्यु प्रमाण पत्र व कोरोना संक्रमित संबंधी रिपोर्ट के साथ ईएसआईसी के नजदीकी शाखा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ आवेदन के 15 दिन के भीतर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।